न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेरलीरेल बनाम अमरसिंह S/o कारे जाटव

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/02/2018 निर्णय दिनाँक :- 17-4-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गढ़लावता की आ.ख.न. 1076 कुल रकबा 0-95 किस्म जमीन गै०मु० रास्ता में से 450 वर्गफुट रकबे पर श्री अमरसिंह S/o कारेलाल ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर चबूतरा मिट्टी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेरलीरेल द्वारा दिनाँक 10/4/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय साईट भू.अ.निरी. खेरलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी अमरसिंह S/o कारेलाल जाटव निवासी खेरलीरेल को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी अमरसिंह उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1076 रकबा 0-95 में से 450 वर्गफुट रकबे किस्म गै०मु०रास्ता है जो नियमन योग्य नहीं है लिहाजा दौरान अतिक्रमी रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान Spaise का 50 गुणा 3/- Three Rs. रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी खेरलीरेल भू.अ.निरी. खेरलीरेल को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर)

17/4/18

तहसीलदार
कठूमर अलवर (राज.)